

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 227

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

‘फिट इंडिया’ आंदोलन

227. श्री गोपाल शेट्टी

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के सुदूर क्षेत्रों में ‘‘फिट इंडिया आंदोलन’’ को प्रसारित करने के लिए येवा कार्य और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर कोई मसौदा तैयार किया है या समन्वय स्थापित किया;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अब तक इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’)

(क) से (ग): उच्चतर शिक्षा विभाग ने ‘फिट इंडिया’ आन्दोलन के संबंध में कार्रवाई योग्य बिन्दु तैयार किए हैं और इसे अपनी सभी संस्थाओं को अग्रेषित किया है। कार्रवाई योग्य बिन्दुओं का विवरण संलग्नक पर दिया गया है। खेल विभाग के सहयोग से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को एडवायजरी जारी की थी जिसमें 29 अगस्त, 2019 को विद्यार्थियों के लिए फिटनेस शपथ कार्यक्रम देखने/सुनने करने और फिटनेस शपथ लेने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के लिए कहा गया था। देशभर के लगभग तेरह लाख स्कूलों और ग्यारह करोड़ विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसे देखा और फिटनेस शपथ ली।

इसके अतिरिक्त, खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया प्लोगिंग दौड़ के संबंध में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2 अक्टूबर, 2019 को फिट इंडिया प्लोगिंग दौड़ आयोजित करने के लिए राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों, केवीएस, एनवीएस और

सीबीएसई को जारी किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस 'नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक' और घरों, सड़कों और खुले स्थानों से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के बारे में जागरूकता पैदा करना।

संलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री गोपाल चिन्नाय शेट्टी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में फिट इंडिया के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य बिन्दु

- I. नीतियों और व्यवहारों का कार्यान्वयन : संस्थानों, द्वारा छात्रों, संकायों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाली नीतियों और कार्यों को अपनाना। इस संबंध में, निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया जा सकता है:

(क) सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनाए रखने और कुछ खेल गतिविधियों को नियमित रूप से करने के लिए छात्रों, संकायों और कर्मचारियों द्वारा शपथ लेना।

(ख) छात्रों और कर्मचारियों को शारीरिक क्रियाकलापों जैसे खेल, गोम्स, दौड़ना और चलना आदि में कम से कम एक घंटा बिताने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना।

(ग) संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के परिसर में बाई-साइकिल का उपयोग करने हेतु छात्रों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना।

(घ) प्रत्येक छात्रावास में इनडोर खेलों जैसे शतरंज, बिलियर्ड्स, कैरम, बैडमिंटन आदि को प्रोत्साहित करना।

(ङ.) संस्थान के परिसर को साफ और हरा-भरा बनाए रखने के लिए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को जानकारी देना।

(च) स्वास्थ्यकर खाने की आदतों का पालन और सहयोग करने के लिए छात्रों और कर्मचारियों को जानकारी देना।

(छ) परिसर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और परिसर की कैंटीन में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करना। इस संबंध में, छात्रों और कर्मचारियों को जंक

फूड के नकारात्मक प्रभाव और मोटापे एवं अधिक भार के परिणामों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।

(ज) वार्षिक योग/मैडिटेशन आयोजनों का कार्यान्वयन।

(झ) सभी के लिए योग/मैडिटेशन कक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जा सकती हैं।

(ञ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए फिटनेस सप्ताह का आयोजन।

(ट) छात्रों को शारीरिक क्रियाकलापों में शामिल करने हेतु वार्षिक वॉक/दौड़ का कार्यान्वयन।

(ठ) संस्थान के प्रमुख त्योहारों और आयोजनों में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती संबंधी गतिविधियों का समावेश।

(ड) संस्था में कार्यात्मक स्वास्थ्य केन्द्र।

(ढ) प्रतिष्ठित स्थानीय अस्पतालों के सहयोग से नियमित मेडिकल फिटनेस और स्वास्थ्य-जांच कैंपों का आयोजन।

(ण) संस्था में फिटनेस क्लब स्थापित करना।

(त) सोशल मीडिया और वेब प्लेटफॉर्म पर संस्थाओं में शुरू किए गए/शुरू किए जा रहे फिटनेस, स्वास्थ्य और वेलनेस पर क्रियाकलाप साझा करना।

(थ) फिटनेस, स्वास्थ्य और वेलनेस कार्यक्रम पर संगोष्ठी/संवाद/कार्यक्रम आयोजित करना।

(द) स्वास्थ्य और फिटनेस संवर्धन संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

II. भौतिक अवसंरचना:

प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्था में इनडोर/आउटडोर खेल क्रियाकलापों के लिए अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अवसंरचना ढांचा होना चाहिए। दौड़, जॉगिंग, वॉकिंग और अन्य खेल क्रियाकलापों के लिए खुले खेल के मैदान बनाए जाने चाहिए।

III. नशा मुक्त परिसर का प्रचार:

(क) तंबाकू और मादक पदार्थों के सेवन से मुक्त परिसर स्थिति का कार्यान्वयन और उपलब्धि।

(ख) तंबाकू और मादक पदार्थों के संबंध में प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्था में जीरो सहिष्णुता नीति होनी चाहिए।

(ग) मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और नशे संबंधी परामर्श सेवाएँ (योग्य सलाहकारों के माध्यम से) प्रदान करना।

उपरोक्त क्रियाकलाप सुझावात्मक हैं और व्यापक नहीं हैं; हालाँकि, संस्थाएं किसी भी क्रियाकलाप की शुरुआत कर सकते हैं जो छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और वेलनेस के विचार को बढ़ावा दे सकती हैं।
